2010/0026

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 15 / 2010 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

गोरूलाल पुत्र धन्नालाल मेघवाल निवासी देवली मच्छियान तहसील लाडपुरा जिला कोटा ,

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री हीरालाल अभिभाषक (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 29.11.2019

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा ने अप्रार्थी गौरूलाल को ग्राम देवली मच्छियान तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित आराजी ख0 नं0 283 रकबा 1.00 हैक्टर का भूमि आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष मे शेष 50 प्रतिशत भूमि पर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त नही करने तथा आवंटी द्वारा आवंटत भूमि पर कब्जा काश्त नही की एवम् सम्वत् 2059–60 मे भूमि पडत रहने पर राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन संबंधी निर्धारित शर्त का उल्लघंन करने पर आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया ।

2. इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.03.2011 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी गोरूलाल को ग्राम देवली मच्छियान मे किया गया आराजी ख0 नं0 283 रकबा 1.00 है0 का आवंटन खारिज किया जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिये गये । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.03.2011 से अप्रसन्न होकर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 25.05.2012 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2011 निरस्त किया किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया है कि वह पक्षकारान के वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्राप्त साक्ष्य एवं दस्तावेज का अवलोकन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा उक्त निर्णय मे यह भी अंकित किया है कि अपीलान्ट को उक्त भूमि वर्ष 1989 में आवंटित हुई थी जो उसके 3 वर्ष पश्चात ही आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा 22 वर्ष पश्चात् उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

3. अप्रार्थी द्वारा दिनांक 26.05.2016 को मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 25.05.2012 की पालना मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा आवंटन नियमों की पालना की गई है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की काश्त नही होने के संबंध में

कोई साक्ष्य पेश नही किये है । अप्रार्थी द्वारा काफी मेहनत करके भूमि को उपजाऊ बनाया गया है तथा वह भूमि पर कब्जा काश्त है । अतः सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाये ।

4. पेरोकार सरकार व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा भी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए आवंटत भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त होने व आवंटन शर्तो की पालना किया जाना साबित होने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पेश किया गया प्रार्थना– पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । विवादित आराजी का आवंटन अप्रार्थी गोरूलाल को किया गया तथा उसका कब्जा दिनांक 07.08.1989 को संभलाया जाना पाया जाता है । अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2011 को इसी आधार पर खारिज की गई थी कि विवादित आराजी पर अपीलांट काश्त किया जाना साबित करने मे असफल रहे है ।

6. मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 25.05.2012 की पालना मे अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली के अवलोकन से खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057–58 मे विवादित आराजी पर अपीलांट की काश्त होना साबेत होता है । संम्वत् 2059 से 2061 मे विवादित आराजी पडत दर्ज है जिससे उक्त आराजी पर सम्वत् 2059 से 2061तक कोई काश्त किया जाना नही पाया जाता । मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णयानुसार आवंटी के भूमि आवंटन के 22 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त करने हेतु प्रा0 पत्र पेश किया है जबकि उसे 3 वर्ष पश्चात ही उक्त कार्यवाही करनी चाहिए थी । प्रार्थी तहसीलदार द्वारा विवादित आराजी पर आवंटन के प्रथम 2 वर्षो अर्थात (सम्वत् 2046–47, 2047–48)मे काश्त नही किये जाने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया है जबकि तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र इस आधार पर पेश किया गया था कि प्रथम 2 वर्षो मे आवंटत भूमि पर आवंटी द्वारा काश्त नही की गई । तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्य साबित करने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है । अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पेश किया गया प्रार्थना–पत्र 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 खारिज किया जाता है ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा